न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 218/2020 जिला टोंक

नाथूलाल पुत्र कालू जाति ब्राहमण निवासी पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक, राजस्थान।

—अपीलांट

बनाम्

तहसीलदार पीपलू, जिला टोंक।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 05.12.1989 , प्रा0 पत्र संख्या 25/88, 28/88 आवेदन अन्तर्गत धारा 17—ए—मध्यम एवम लघु सिंचाई कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री राजाराम चौधरी(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

निर्णय

दिनांकः—16.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पीपलू में स्थित खसरा नम्बर 4169 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 4151 रकबा 2 बीघा भूमियां अपीलांट आवंटी के पक्ष में दिनांक 10.08.1977 एवं 20.10.1977 को नियमन की गई थी। तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 17(ए) के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक में प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद सुनवाई जिला कलक्टर टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 05.12.1989 प्रार्थना पत्र संख्या 25/88, 28/88 में नियमन को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपील को निम्न आधारो पर प्रस्तुत करना बताया गया है—

1. अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही आवेदन पर दोनो आवंटन/नियमन को एक ही अपीलाधीन आदेश से निरस्त किया है जो चलने योग्य नहीं है।

2. अपीलांट को अपीलाधीन कार्यवाही के दौरान सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलांट की व्यक्तिगत तामील नहीं करवायी।

3. अपीलांट का नियमन भूमि की कीमत जमा नहीं करवाने से निरस्त किया गया है जबकि उसके द्वारा राशि जमा करवा दी गई है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन निर्णय में कार्यवाही से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा [illegible] दिन पहले रेस्पोडेंट और उसके प्रतिनिधि ने अपीलांट को ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी दी। तब उसे निर्णय की जानकारी हुई। जिसके पश्चात दिनांक 17.01.2018 को नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 08.02.2018 को नकल प्राप्त कर शीघ्र अपील प्रस्तुत की है। देरी को क्षमा किया जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:56 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि रेस्पोडेंट बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उसे बेदखल करना चाहते है। जबकि विवादित खसरा नम्बरों 4169,4151 ग्राम पीपलूं की भूमियों पर अपीलांट का कब्जा 1977 से चला आ रहा है। रेस्पोडेंट को यदि रोका नहीं गया तो प्रार्थी अपीलांट को अपार हानि होगी। रेस्पोडेंट को पाबंद किया जाये। वह भूमि को अन्य व्यक्ति के पक्ष में आवंटन नियमन नहीं किया जायें।

उक्त अपील दिनांक 21.02.2018 को तत्समय आरएए न्यायालय टोंक में प्रस्तुत की गई थी। राजस्थन ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की अनुपालना में उक्त अपील क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से न्यायालय हाजा मे प्राप्त हुई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि कमाण्ड ऐरिया में भूमि आवंटन किया गया था। दो आवंटन किये गये थे। दिनांक 10.08.1977 और 20.10.1977 जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 05.12.1989 को आवंटन निरस्त कर दिया गया। एकपक्षीय निर्णय दिया गया था। आवंटन पृथक–पृथक थे तो अपील भी पृथक–पृथक होनी चाहिए थी। जवाब में राजकीय अभिभाषक द्वारा बताया गया कि तामील हो रखी है तथा धारा 14(4) की प्रोसिडिंग में शिकायत के रूप में प्रार्थना पत्र होता है। अतः पृथक–पृथक कार्यवाही आवश्यक नहीं है। रिब्युटल में वकील अपीलांट ने यह कहा कि तामील प्रोपर नहीं हुई थी।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेंट तहसीलदार उसके प्रतिनिधि ने जब उसे बेदखल करने की धमकी दी तब निर्णय की जानकारी हुई और उसे आवश्यक कार्यवाही कर अपील को बिना देरी प्रस्तुत किया गया। दिनांक 21.02.2018 को न्यायालय आरएए टोंक में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना माना जाता है। देरी को क्षमा किया जाता है।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा यह आक्षेप किया गया है कि निर्णय उसे पूर्व से नही सुना गया है। न ही उसकी प्रोपर तामील हुई है। ना ही उसे सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रकरण संख्या 28/88 की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 22.04.1988 से दिनांक 05.12.1989 का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दिनांक 22.04.1988 की प्रोसिडिंग में तहसीलदार टोंक द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण नियम 17(ए) मध्यम लघु सिंचाई एल0आर0एक्ट 1970 के तहत दर्ज किया गया था तथा विपक्षी आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली को दिनांक 23.06.1988 हेतु तय किया गया था।

उक्त दिनांक 23.06.1988 को आवंटी नाथू स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा प्रोसिडिंग पर उसके हस्ताक्षर दर्ज करवाये गये। दिनांक 27.10.1988 को आवंटी द्वारा बहस हेतु मौका चाहा गया। दिनांक 27.12.1988 को अपीलांट अनुपस्थित रहा। अतः यह नही कहा जा सकता है कि अपीलांट को तामील नहीं हुई थी ना उसे सुनवाई का अवसर दिया गया था। अपील में अपीलांट स्वच्छ हाथों से नही आया है। तहसीलदार टोंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र 17(ए) के तहत आवंटन आदेश दिनांक 08.09.1977 प्रस्तुत किया गया था। खसरा नम्बर रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि से संबंधित आवंटन को किमत भूमि जमा नहीं कराने बाबत निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर न्यायालय टोंक में प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार की प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी पीपलू द्वारा दिनांक 22.06.1987 का नोटिस भी संलग्न है जिसमें नाथू को 287.50 रूपये कीमत भूमि जमा कराने हेतु कहा गया था। उक्त नोटिस पर नाथू के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस में नाथू को 7 दिवस में राशि जमा कराने हेतु कहा गया था। जबकि तहसीलदार टोंक द्वारा काफी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:56 IST
Reason: SelfAttested

समय बाद दिनांक 22.04.1988 को जिला कलक्टर न्यायालय टोंक में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। स्पष्ट है कि नाथू को भूमि की कीमत जमा कराने हेतु काफी अवसर दिये गये थे। अपीलांट चाहता तो आवंटन के बाद यदि उसने कोई राशि जमा करवायी होती तो वह ऐसी कोई रसीद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता था। मगर उसके द्वारा कोई ऐसी रसीद अधीनस्थ न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में बहस के दौराने/अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा राशि जमा करवायी गई थी।

अपीलांट द्वारा भूमि की कीमत जमा करवाया जाना नही पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था। इससे पूर्व भी पटवारी द्वारा उसे भूमि की कीमत राशि जमा करवाये जाने हेतु उचित समय अवधि दी गयी थी। मगर फिर भी उसके द्वारा राशि जमा नही करवायी गयी। ऐसी स्थिति में अपीलांट न्यायालय से कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकता है। अपीलांट के पक्ष में आवंटी भूमि का राशि जमा न कराने से राजस्व रिकोर्ड में उसके नाम से कोई अमल दरामद नही किया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट का बनना नहीं पाया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपीलांट अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 25/88, 28/88 दिनांक 05.12.1988 अन्तर्गत 17(ए) मध्यम लघु सिंचाई कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:56 IST
Reason: SelfAttested